बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना
(बिस्कोमान)

आदेश

चूँकि बिस्कोमान के प्रबंधन को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री शशि भूषण वर्मा (नि॰) तत्कालीन सहायक भंडार प्रबंधक भविष्य निधि शाखा बिस्कोमान, पटना द्वारा स्व॰कपिल दुबे, मृत कर्मी(जिन्हें न तो कोई संतान है और न पत्नी हीं जीवित है) की संचिका में Nomination Form उनके मृत्यु दिनांक 19.11.2010 के पश्चात् प्रविष्टि कर लगभग ₹ 2,00,000/– भुगतान करने का प्रयास किया गया। जिसमें कार्यालय के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर इंगित नहीं है। उक्त अभियोगों के आधार पर मुख्यालय आदेश ज्ञापांक– एम/974 दिनांक 12.12.2012 द्वारा निलंबित किया गया है।

2. चूँकि श्री शशि भूषण वर्मा(नि॰), सहायक भंडार प्रबंधक से इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव में लिखित ब्यान अधिक से अधिक 15.11.2013 तक अवश्य उपस्थापित करें तथा साथ हीं:–

(क) यह भी बतावें कि क्या वे साक्षात सुनवाई कराना चाहते हैं।

(ख) उन साक्ष्यों का यदि कोई हो, उनका नाम एवं पता दें, जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में बुलाना चाहते हैं।

(ग) ऐसे अभिलेखों को यदि हो, सूची प्रस्तुत करें जिन्हें वे अपने बचाव के पक्ष में पेश करना चाहते हों।

3. उन्हें निदेश दिया जाता है कि दिनांक 15.11.2013 तक लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण क्षेत्रीय जूट पणन पदाधिकारी, पूर्णियॉ को समर्पित करें जिन्हें इस मामलें में संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री वर्मा(नि॰), सहायक भंडार प्रबंधक को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनका लिखित प्रतिवाद पत्र उपर विर्निदिष्ट तिथि को या इसके पहले प्राप्त नहीं होगा तो जॉच एक पक्षीय कर ली जाएगी।

5. आरोपों से संबंधित कागजातों को वे अगर देखना चाहें तो किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में स्वयं आकर देख सकते हैं।

Anchal 31/10

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:–स्था॰-स॰अ॰प्र॰-229-स्त्र-2401 दिनांक:– 06-11-2013

प्रतिलिपि:–

1. श्री शशि भूषण वर्मा, सहायक भंडार प्रबंधक (नि॰), बिस्को–जूट, पूर्णियॉ को आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए सूचनार्थ एवं आदेशार्थ।
2. क्षेत्रीय जूट पणन पदाधिकारी, बिस्कोमान, पूर्णियॉ को आरोप–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जॉच प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2013 तक शीघ्रताशीघ्र समाप्त कर संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आदेशार्थ उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

Anchal 31/10/13

प्रबंध निदेशक

आरोप–पत्र

प्रपत्र–'क'

नाम– श्री शशि भूषण वर्मा,
पदनाम– सहायक भंडार प्रबंधक,
वेतनमान–1400–2300
सेवा निवृत्ति तिथि–31/01/2020

आपके द्वारा स्व0 कपिल दुबे, मृत कर्मी (जिनका न तो कोई संतान है, और न पत्नी ही जीवित है) की संचिका में Nomination Form उनके मृत्यु दिनांक 19.11.2010 के पश्चात् प्रविष्टि कर संचिका में रखी गई है, जिसमें कार्यालय के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर इंगित नहीं है। लेखा स्थापना/भविष्य निधि शाखा द्वारा मृत कर्मी को बिना Nomination के लगभग दो लाख/रुपये भुगतान करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार सेवा निवृत्ति लाभ के भुगतान में की गयी अनियमितता के लिये आप दोषी है। जिसके लिये आदेश ज्ञापांक–एम/974 दिनांक 12.12.2012 द्वारा आपको निलंबित किया गया है। इस प्रकार आपकी कार्यशैली संस्थाहित में नहीं है।

31/1/13

प्रबंध निदेशक